न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/100/2025	2025/154	01.07.2025	05.05.2026

1—तहसीलदार, राजगढ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1— नगरपालिका राजगढ, तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः—

1. राजकीय अभिभाषक — वकील प्रार्थी

—:: निर्णय ::—

तहसीलदार राजगढ़ ने यह रेफरेन्स प्रकरण पेश किया है। रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील/सूचना अनुपस्थित।

प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम राजगढ़ के साबिक खसरा नंबर 2941 मिन रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन राडा, 3202 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता, 3005 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन जोहड़, 3196 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3139 मिन रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3155 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3208 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3218 रकबा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3224 मिन रकबा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता, 3168 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड़, 3234 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3206 रकबा 7 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ जमाबंदी संवत 2037—2040 में शामलात देह में जैर आब किस्म नदी/नाला/जोहड/पहाड़ आदि दर्ज थे।

उक्त साबिक खसरा नंबर साबिक खसरा नंबर 2941 मिन रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन राडा, 3202 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता, 3005 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन जोहड़, 3196 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3139 मिन रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3155 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3208 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3218 रकबा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3224 मिन रकबा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता, 3168 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड़, 3234 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3206 रकबा 7 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड के हाल खसरा नंबर 4230 रकबा 0.89 है0 किस्म गैर मु. राडा, 4367 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 नाला, 4387 रकबा 0.29 है0 किस्म गैर मु0 पाल, 4388 रकबा 0.24 है0 किस्म गैर मु0 जोहड़, 4416 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मु0 नाला, 4418 रकबा 0.26 है0 किस्म

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

गै.मु.नाला, 4419 रकबा 0.78 है0 किस्म गै.मु.नाल, 4473 रकबा 0.29 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4512 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4522 रकबा 0.04 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4525 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4541 रकबा 0.39 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4550 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.राडा, 4552 रकबा 0.05 है0 किस्म गै.मु.राडा, 4558 रकबा 0.04 है0 किस्म तालाबी, 4559 रकबा 0.24 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4571/0.05 है0, 4572/0.07 है0, 4573/0.08 है0, 4574/0.10 है0, 4582/0.02 है0, 4583/0.01 है0 किस्म तालाबी प्रथम, 4635/4515 रकबा 0.0136 है0, 4636/4515 रकबा 0.0114 है0, 4637/4515 रकबा 0.0650 किस्म गै.मु. नाला, 4638/4417 रकबा 0.0112 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4639/4417 रकबा 0.9188 है0 किस्म गै.मु. नाला बने हैं, वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत अप्रार्थी को खातेदारी दिया जाना विधिसंगत नहीं होने से अप्रार्थी को दी गई खातेदारी निरस्तनीय है। संवत 2011 के बाद उक्त विवादित आराजी की किस्म परिवर्तन करना एवं खातेदारी दिया जाना विधिसंगत नहीं होने से निरस्तनीय है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेफरेंस माननीय उच्च न्यायालय के डी.बी. जनहित याचिका सं. 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं किस्म निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में किस्म नदी/नाला/जोहड आदि दर्ज करने हेतु रेफरेंस पेश किया गया है। अतः निवेदन है कि रैफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी की खातेदारी निरस्त कर उक्त आराजीयात को सरकारी संपदा घोषित किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद विधिवत तामील/सूचना अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की विस्तृत बहस सुनी।

प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि ग्राम राजगढ़ के साबिक खसरा नंबर 2941 मिन रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन राडा, 3202 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता, 3005 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन जोहड़, 3196 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3139 मिन रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3155 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3208 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3218 रकबा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3224 मिन रकबा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता, 3168 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड़, 3234 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला, 3206 रकबा 7 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ जमाबंदी संवत 2037–2040 में 'शामलात देह' में जैर आब किस्म नदी/नाला/जोहड/पहाड़ आदि के रूप में दर्ज थे। कालांतर में बंदोबस्त के दौरान उक्त साबिक खसरा नंबरों के हाल खसरा नंबर 4230 रकबा 0.89 है0 किस्म गै.मु. राडा, 4367 रकबा 0.02 है0 किस्म गै.मु. नाला, 4387 रकबा 0.29 है0 किस्म गै.मु. पाल, 4388 रकबा 0.24 है0 किस्म गै.मु. जोहड़, 4416 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. नाला, 4418 रकबा 0.26 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4419 रकबा 0.78 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4473 रकबा 0.29 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4512 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4522 रकबा 0.04 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4525 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4541 रकबा 0.39 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4550 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.राडा, 4552 रकबा 0.05 है0 किस्म गै.मु.राडा, 4558 रकबा 0.04 है0 किस्म तालाबी, 4559 रकबा 0.24 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4571 रकबा 0.05 है0, 4572 रकबा 0.07 है0, 4573 रकबा 0.08 है0, 4574 रकबा 0.10 है0, 4582 रकबा 0.02 है0, 4583 रकबा 0.01 है0 किस्म तालाबी प्रथम, 4635/4515 रकबा 0.0136 है0, 4636/4515 रकबा 0.0114 है0, 4637/4515 रकबा 0.0650 किस्म गै.मु. नाला, 4638/4417 रकबा 0.0112 है0 किस्म गै.मु.नाला, 4639/4417 रकबा 0.9188 है0 किस्म गै.मु.नाला कायम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

किये गए, जो कि वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी (नगरपालिका राजगढ़) के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, साबिक एवं हाल जमाबंदियों तथा मिलान क्षेत्रफल रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी मूल रूप से नदी, नाला, जोहड़, पहाड़, और रास्तों के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के स्पष्ट प्रावधानों के तहत ऐसी भूमि जो नदी, नाले, जोहड़, तालाब, रास्ते या पहाड़ की हो, पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। संवत 2011 के बाद उक्त विवादित सार्वजनिक उपयोग एवं जलभराव/बहाव क्षेत्र की आराजी की किस्म में परिवर्तन करना एवं अप्रार्थी को इसकी खातेदारी दिया जाना पूर्णतया क्षेत्राधिकार से बाहर है एवं विधिसंगत नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र/रेफरेंस माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. जनहित याचिका सं. 1536/2003 (अब्दुल रहमान बनाम राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में प्रस्तुत किया गया है। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जलभराव क्षेत्रों, नदी, नालों एवं जोहड़ आदि की भूमि को उनके मूल स्वरूप (संवत 2011 की स्थिति के अनुसार) में बहाल किया जाए तथा इन पर हुए अतिक्रमण/आवंटन/खातेदारी को निरस्त किया जाए। अतः प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं किस्म निरस्त कर भूमि पुनः सरकारी खाते में सिवायचक (किस्म नदी/नाला/जोहड आदि) दर्ज की जावे। पत्रावली पर यह निर्विवाद रूप से साबित है कि विवादित भूमि मूल रूप से गैर मुमकिन जोहड़, नदी, नाला, पहाड़ एवं रास्तों की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत इन जमीनों पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 'अब्दुल रहमान बनाम राज्य' के दिशा–निर्देशों के क्रम में राजस्व रिकॉर्ड में इस प्रकार की गई प्रविष्टियां शुरू से ही शून्य हैं। संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा पूर्व में किए गए किस्म परिवर्तन व नगरपालिका राजगढ़ के नाम दर्ज की गई खातेदारी पूर्णतया अवैधानिक है। यह भूमि मूलतः राजकीय सम्पदा है और इसे इसके मूल स्वरूप में ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधिक रूप से आवश्यक है।

चूंकि उक्त भूमि जनोपयोगी और प्रतिबंधित किस्म की है, अतः इसे अप्रार्थी नगरपालिका राजगढ़, अलवर के नाम खातेदारी में दर्ज रखना पूर्णतः अवैधानिक और विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अप्रार्थी इस प्रविष्टि के समर्थन में कोई भी साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अतः तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पेश रैफरेंस प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम राजगढ़ के हाल खसरा नंबर 4230, 4367, 4387, 4388, 4416, 4418, 4419, 4473, 4512, 4522, 4525, 4541, 4550, 4552, 4558, 4559, 4571, 4572, 4573, 4574, 4582, 4583, 4635/4515, 4636/4515, 4637/4515, 4638/4417, तथा 4639/4417 के राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थी "नगरपालिका राजगढ़" का नाम कलमजन किया जाकर उक्त समस्त भूमि को उसके मूल स्वरूप के अनुसार पुनः "राज्य सरकार" के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण माननीय निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्व अजमेर को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति० जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज०)